"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 505] रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 अक्टूबर 2015— आश्विन 22, शक 1937

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2015

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 01-88/2007/10-1/वन . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वन (मुख्यालय एवं मैदानी) चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

शुद्धिपत्र

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

अनुसूची के सरल क्रमांक-4 के कॉलम 6 में, अंक, चिन्ह एवं शब्द "100% पदोन्नति द्वारा" तथा सरल क्रमांक-5 के कॉलम 6 में, चिन्ह एवं शब्द "-तदैव-" के स्थान पर, अंक, चिन्ह एवं शब्द "100% सीधी भर्ती द्वारा" पढ़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमेगा यूनाईस टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.